IV 5 115

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

11 DEC 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EN 951450

न्यास विलेख

यह न्यास विलेख वहद स्थान तहसील राबर्ट्सगंज जनपद-सोनभद्र में दिनांक १६.०१.२०१६ को धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री साहूराम यादव निवासी स्थाई पता-ग्राम-भलवाँ, पोस्ट-रुपौधा, जिला-मीरजापुर, हा०मु० डाला चढ़ाई ग्राम-कोटा, परगना-अगोरी, तहसील-राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र उत्तर प्रदेश द्वारा संपादित किया गया जैसा कि ऊपर नामित न्यासकर्ता प्रधान ट्रस्टी/अध्यक्ष होगा जिसे डायरेक्टर अथवा निदेशक भी कहा जाएगा।

एवं

१. जितेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री साहूराम यादव निवासी स्थाई पता-ग्राम-भलवाँ, पोस्ट-रुपौधा, जिला-मीरजापुर, हा०मु० डाला चढ़ाई ग्राम-कोटा, परगना-अगोरी, तहसील-राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र उत्तर प्रदेश।

उपरोक्त सह ट्रस्टी के हैसियत से सबोधित किया जाएगा जो प्रधान ट्रस्टी/ न्यासकर्ता के अधीन एंव उसके इच्छानुसार इस न्यास विलेख में निर्मित ट्रस्ट के समस्त चल एवं अचल संम्पतियों में अधिकार रखेगे।

जितेन्द्र कुमार यादव सह ट्रस्टी जो साहूराम लाली देवी फाउण्डेशन के सचिव होगें।

MANAGER
ST. XAVIER'S PUBLIC SCHOOL
Dalla Sonebhadra (U.P)231207

PRINCIPAL
ST. XAVIER'S PUBLIC SCHOOL
Dalla Sonebhadra (U.P)231207

क्र० सं० 522 स्टाम्प क्रय की तिथि 16-01-19

स्टाम्प ... का प्रयोजन ....

... का नाम व पता ... [illegible]

[illegible]

स्टाम्प का मालियत ... 100 ....

निर्मला देवी
स्टाम्प विक्रेता ला० नं० -175(R)
गजराज नगर, बिल्ली मारकुण्डी,
ओबरा-सोनभद्र

... रावर्ट्सगंज जि. ...

उ० प्र०

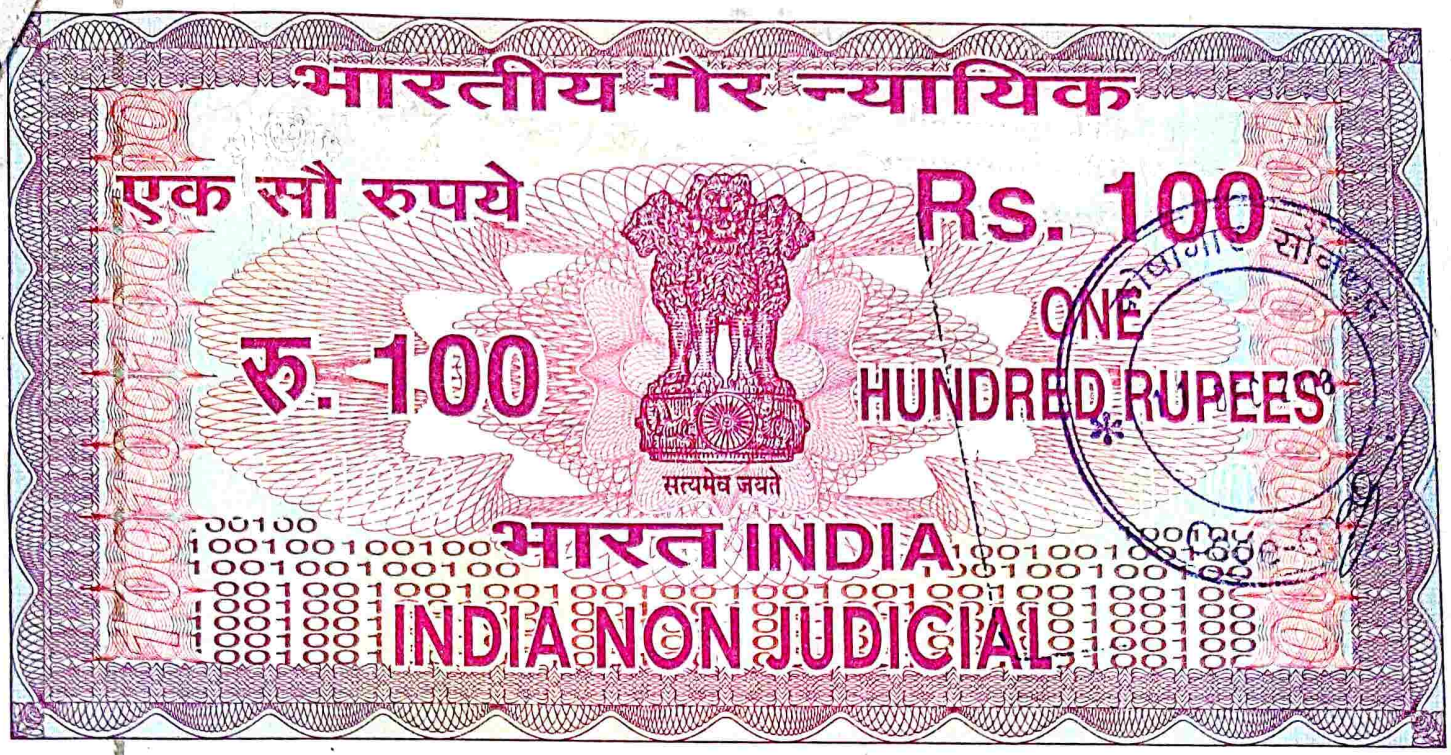

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EN 951451

प्रधान ट्रस्टी/सह ट्रस्टी अपने पास से १०,००० (दस हजार) रुपये मात्र की राशि है जिसे वह समाजिक कार्य हेतु देने की इच्छा करते हुए उक्त राशि का अप्रसंहरणीय न्यास वनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज के उत्थान एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य व पर्यावरण संरक्षण में में कार्य करेगा। वर्तमान समय में ट्रस्ट के पास कोई और धनराशि नहीं है।

जैसा कि ऊपर नामित न्यास कर्ता मैनेजिंग ट्रस्ट्री होगे वह विभिन्न श्रोतों से जिसमे दान उपहार ऋण आदि से सम्मिलत है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं संसाधनो को और वढावे ताकि ट्रस्ट अपने कार्यों एवं उद्देश्यों को बढ़ाने में सफल हो सके। न्यासकर्ता ने अपनी इच्छा के अनुकूल १०,००० (दस हजार) रुपये की नगद धनराशि प्रदान की है वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय **डाला चढ़ाई ग्राम-कोटा, परगना-अगोरी, तहसील-राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र उत्तर प्रदेश** में होगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समयानुसार उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

ट्रस्ट का नाम- साहूराम लाली देवी फाउण्डेशन (एस०आर०एल०डी० फाउण्डेशन):-

जैसा कि ऊपर ट्रस्ट के नामित न्यासकर्ता/ट्रस्टीज द्वारा ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धारावद्ध घोषित किया जाता है ।

ट्रस्ट के उददेश्य

क्र० सं० 523 स्टाम्प क्रय की तिथि 16-01-19

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता..........

....

स्टाम्प की धनराशि..........1000..........

निर्मला देवी
स्टाम्प विक्रेता ला० नं०-175(R)
गजराज नगर, मारकुण्डी,
ओबरा-सोनभद्र

न्यास पत्र

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 200 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 320

श्री धर्मेन्द्र कुमार ,
पुत्र श्री साहू राम यादव
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: ग्राम–भलवा¡, पोस्ट–रूपौधा, परगना–भुइली, तहसील–चुनार, जिला–मीरजापुर।

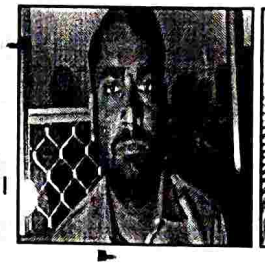

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 16/01/2019 एवं 04:57:35 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनेश कुमार दिवाकर (प्रभारी)
उप निबंधक :सदर
सोनभद्र
16/01/2019

दिनेश कुमार दिवाकर
वरिष्ठ सहायक (निबंधन)

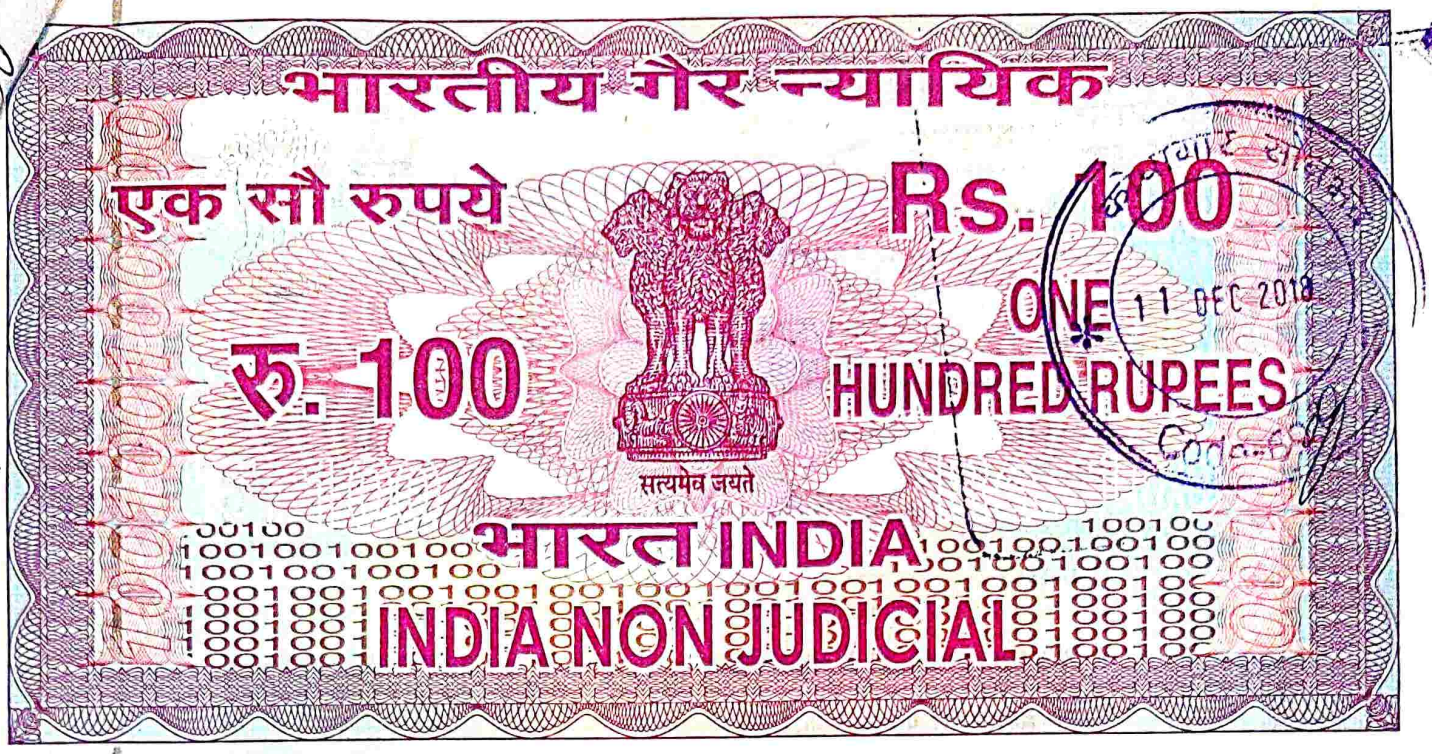

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EN 951452

इण्डियन ट्रस्ट एक्ट १८८२ के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट

उद्देश्य- ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

१. बिना लिंग भेद किए सबके लिए प्राथमिक पाठशाला जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों, विधि स्नातक एवं विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों, वाचनालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धा आश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रवासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों, सर्वेक्षण केन्द्रों, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स निवारण केन्द्रों की स्थापना करना, नामकरण विकास सम्बद्ध आबद्ध प्रबन्धन, संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, संस्थाओं, स्थानों, शासन आदि से उन्हें मान्य सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।

२. कमजोर वर्ग के रोजगार परक तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना।

३. निर्बल वर्गीय छात्र/छात्रओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थान की व्यवस्था करना।

४. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए शक्तिकरण की दिशा में कार्य करना।

५. आदिवासियों की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं सम्बर्धन के लिए कार्य करना।

क्र० सं० 524 स्टाम्प क्रय की तिथि 16-01-19
स्टाम्प क्रय का प्रयोजन ....
स्टाम्प विक्रेता का नाम व पता .... धर्मेन्द्र कुमार s/o ... 522
....
स्टाम्प की धनराशि 100

निर्मला देवी
स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस नं०-175(R)
गजराज नगर, पल्ली मारकुण्डी
ओबरा-सोनभद्र

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री धर्मेन्द्र कुमार, पुत्र श्री साहू राम यादव

निवासी: ग्राम–भलवा¡, पोस्ट–रूपौधा, परगना–भुइली, तहसील–चुनार, जिला–मीरजापुर।

व्यवसाय: व्यापार

न्यासी 2: 1

श्री जितेन्द्र कुमार यादव, पुत्र श्री साहू राम यादव

निवासी: ग्राम–भलवाँ, पोस्ट–रूपौधा, जिला–मीरजापुर।

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री शमीम अंसारी, पुत्र श्री अजीम अंसारी

निवासी: ग्राम–भलवां, पोस्ट–रूपौधा, तहसील–चुनार, जिला–मीरजापुर।

व्यवसाय: व्यापार

पहचानकर्ता : 2

श्री जितेन्द्र कुमार, पुत्र श्री स्व० दुधनाथ

निवासी: ग्राम–कोटा, डाला चढाई, डाला, सोनभद्र।

व्यवसाय: नौकरी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी :

दिनेश कुमार दिवाकर (प्रभारी)
उप निबंधक : सदर
सोनभद्र

दिनेश कुमार दिवाकर
वरिष्ठ सहायक (निबंधन)

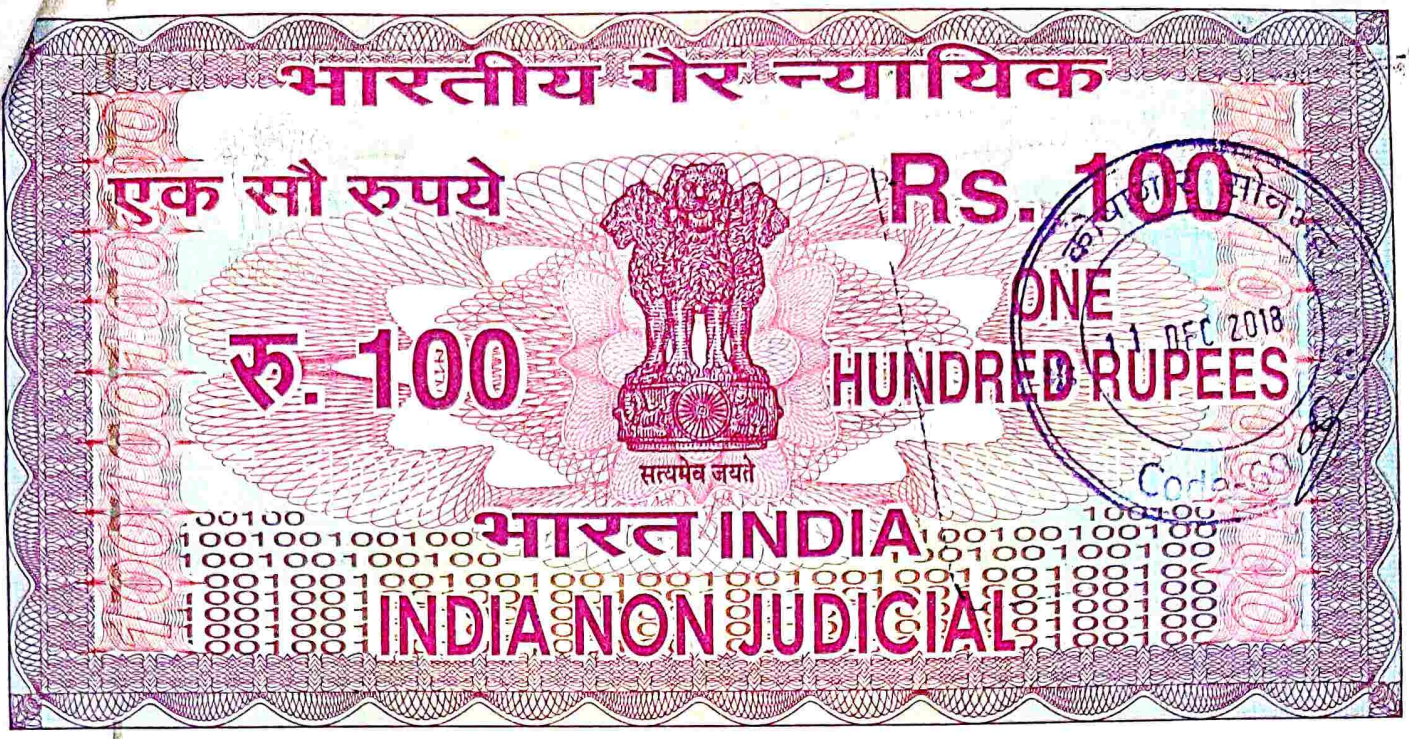

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EN 951453

६. निर्बल वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलानें के लिए जागरुक करना।

७. पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की दिशा में कार्य करना और उद्यानीकरण व जंगलात का विकास करना।

८. वृद्धाश्रम की व्यवस्था करना तथा बुजुर्गों के प्रति अच्छी भावना का विकास करना।

९. गरीब कन्याओं की शिक्षा-दीक्षा के साथ उनकी शादी की व्यवस्था कराना।

१०. वर्षा के जल को रोकने के लिए जगह-जगह बंधी की व्यवस्था करना एवं तत्सम्बन्धी जागरुकता पैदा करना।

११. ट्रस्ट बाल संरक्षण का कार्य सम्पूर्ण भारत वर्ष में करेगा।

१२. अंहिसा के क्षेत्र में प्रचार-प्रसार करना, मानवीय भावनाओं का आदर करना, इस आशय उद्देश्य से संगठन देश स्तर पर आवश्कतानुसार जिम्मेंदार भारतीय नागरिकों को संगठन से जोडेगा।

१३. ग्राम विकास अभिकरण से सम्बन्धित योजनाओं को क्रियान्वित करना एवं संचालित करना व करवाना।

१४. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि को सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नमी संरक्षण करना।

१५. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।

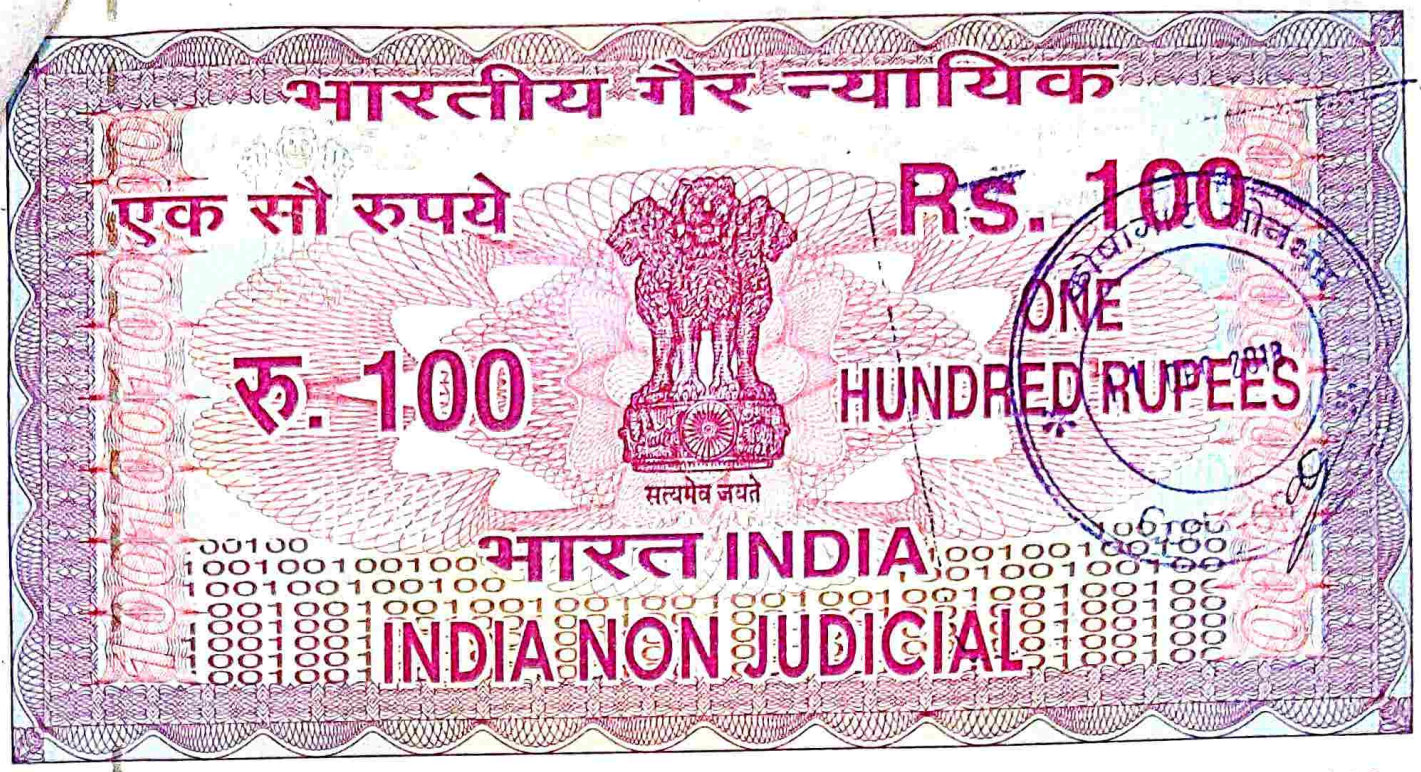

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EN 951449

१६. लोकहित हेतु शैक्षिक संस्थानों, विद्यालयों का निर्माण एवं पुर्ननिर्माण करना।

१७. विविध प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल वनाकर स्वावलम्वी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास सुविधाओं की व्यवस्था करना।

१८. पुस्तक साहित्य एवं धार्मिक साहित्यों पत्रों पाठ्यक्रम का सृजन सम्पादन, प्रकाशन मुद्रण वितरण करना, कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन, सांस्कृतिक मंचन, संस्कृति एवं सांस्कृतिक संरक्षण करना।

१९. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगितायें, बैठकें, विशेष कक्षाएं, सत्र प्रोत्साहन, कार्यक्रम आयोजित करना।

२०. महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई, बुनाई, स्क्रिन प्रिटिंग की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।

२१. व्यक्ति विशेष व अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उनका इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।

२२. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं व व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना।

२३. विधि सम्मत उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।

२४. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं प्रचार-प्रसार करना।

२५. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार-प्रसार करना।

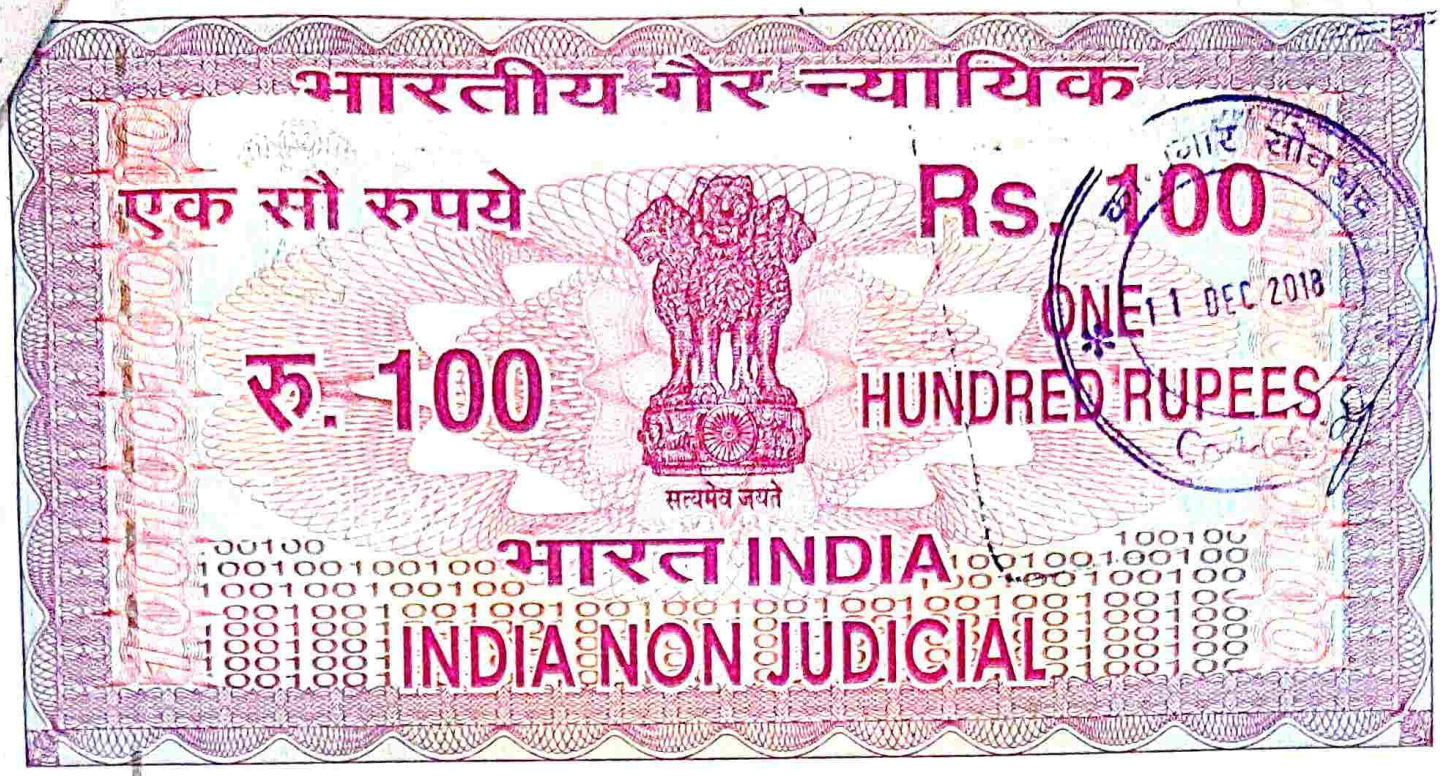

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EN 951454

२६. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी देना एवं सेमिनार करना।

२७. एड्स के बारे में जनजागरण हेतु प्रचार-प्रसार करना।

२८. पुस्तक-पुस्तिकाएं, पत्र-पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित व विक्रय करना।

२९. मद्य निषेध की दिशा में कार्य करना एवं नशा मुक्ति केन्द्र के जरिये नशा खोरी से मुक्ति दिलाना।

३०. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं, वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

३१. पत्राचार द्वारा अध्ययन-अध्यापन को प्रोत्साहित करना तथा ततूविधित आवश्यक व्यवस्थायें करना।

३२. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर चेतना जागृत करने हेतु कार्य करना।

३३. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णोद्धार करना जैसे कुआँ, तालाब, मन्दिर आदि।

३४. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा क्रियान्वयन करना।

३५. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता स्मृति चिन्ह आदि प्रदान करना।

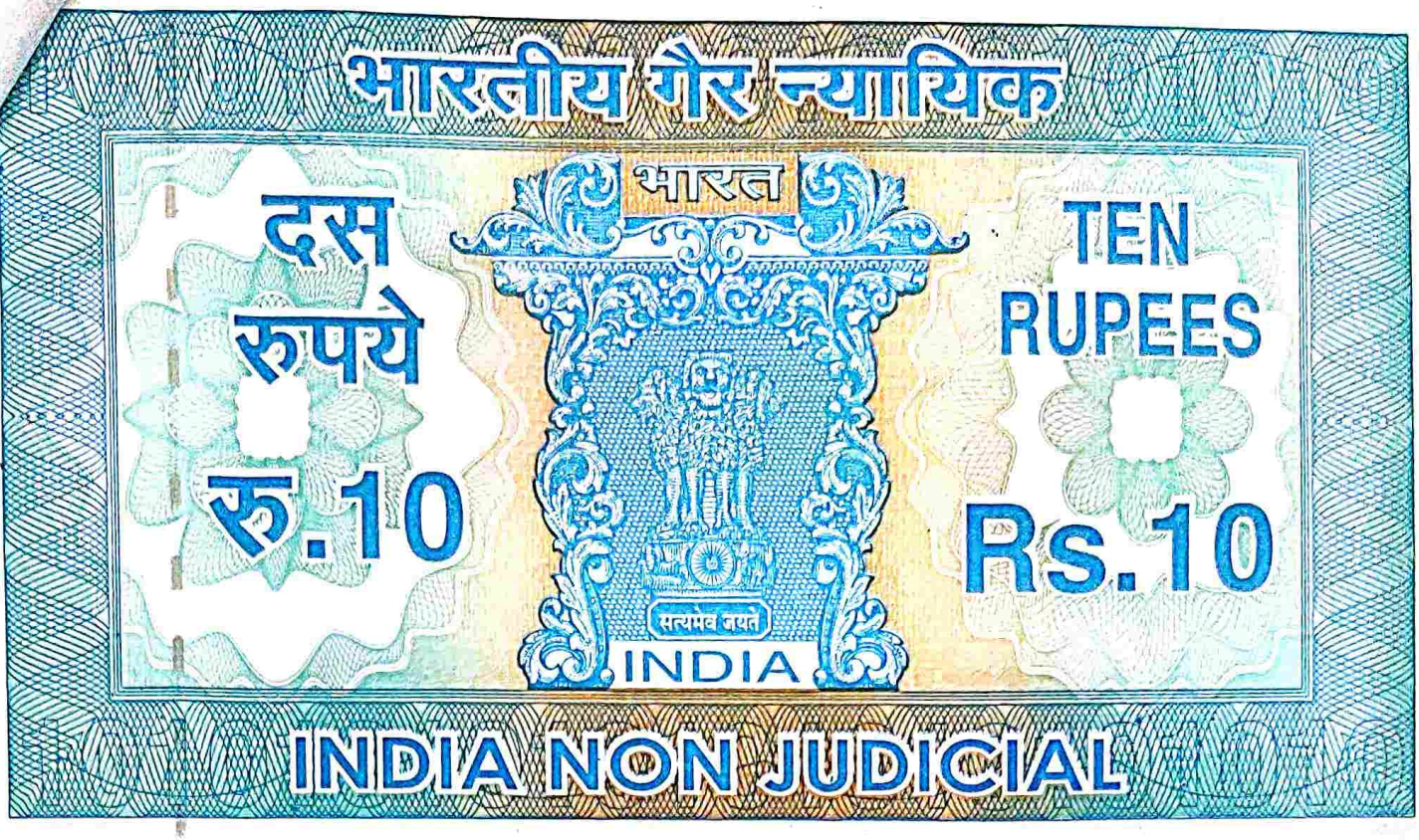

३६. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेजों/इंजीनियरिंग कालेजो प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त करना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान करना।

३७. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना, तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।

३८. ट्रस्ट जन सामान्य के निमित्त कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवायें/वस्तुयें लागत मूल्य पर देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़जा तालाबों का निर्माण, पशुपालन आदि का प्रचार-प्रसार करना व आवास पशुओं का पालन-पोषण करना।

३९. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ पाने के लिए कार्य नहीं करेगा। ट्रस्ट जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

४०. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।

४१. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लिनिक का निर्माण करना।

४२. किसानों के उत्थान हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादित किये गये माल का आयात एवं निर्यात करना तथा मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, शूकर पालन, भेड़ पालन के महत्व की जानकारी देना और इस दिशा में उत्प्रेरित करना।

४३. ट्रस्ट को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला, प्रदेश, देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना।

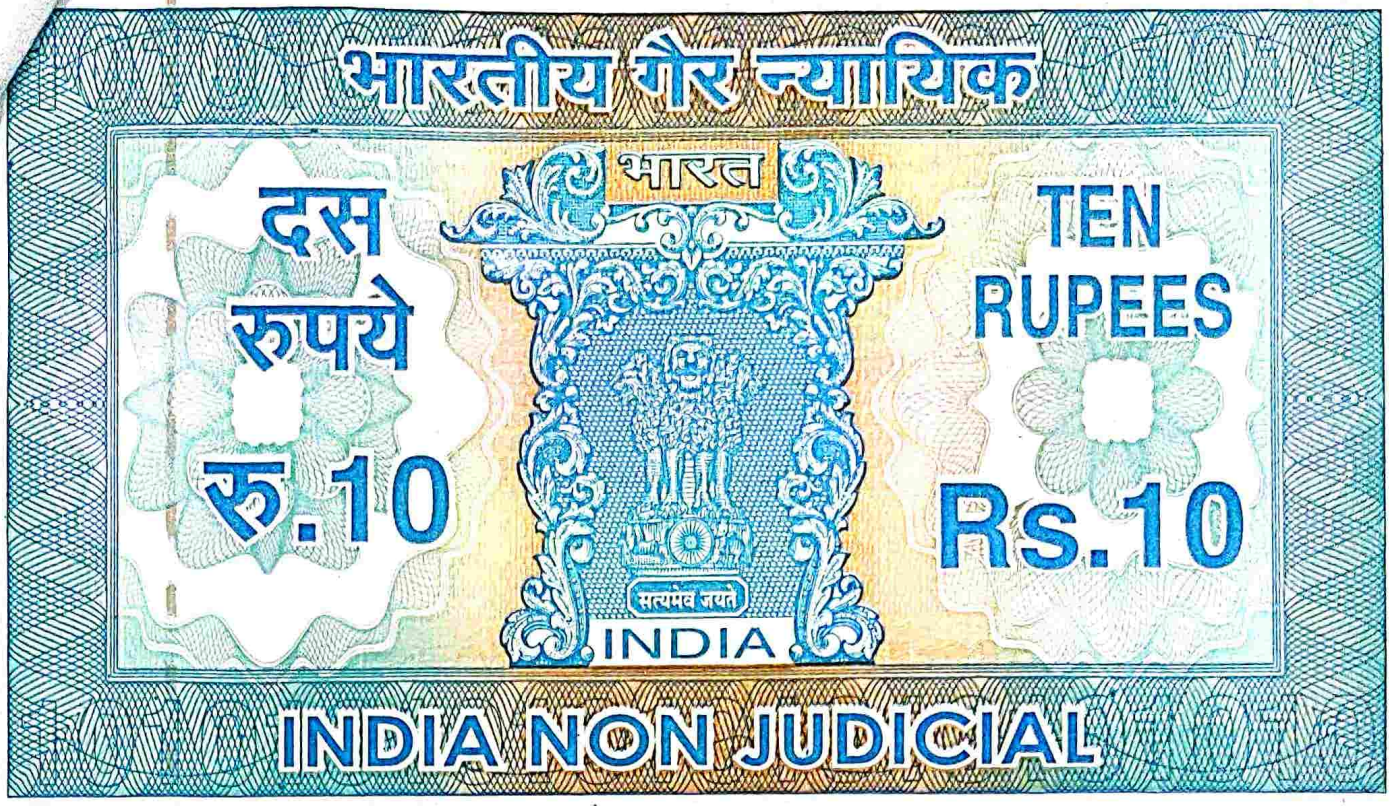

४४. समाज में फैली बुराइयों को दूर करना एव सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत करना।

४५. विचार-गोष्ठी कार्यक्रम, सेमिनार, वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन-प्रशासन तक पहुँचाना।

४६. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना।

४७. ट्रस्ट असहाय, गरीब व असमर्थ व्यक्तियों के ऊपर हो रहे अत्याचार, शोषण के विरूद्ध उनके समर्थन में कार्य करेगा।

४८. ट्रस्ट अनपढ़, किसान, मजदूरों तथा वे जो अपने अधिकार व कर्तव्यों से अज्ञान लोग है उनके कर्तव्य व अधिकार के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करेगा।

४९. ट्रस्ट समाज में बढ़ रहे महिलओं के अपराध के विरूद्ध कार्य करेगा तथा महिला सशक्तिकरण के पथ पर महिलाओं के साथ सहयोग करेगा।

५०. ट्रस्ट समाज में अभी भी चल रहे छूआ-छूत, ऊँच-नीच तथा जातीय प्रथा के विरूद्ध कार्य करेगा तथा समाज में सबको एक सामान्य बराबरी का दर्जा प्रदान करेगा। चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति हो।

५१. योग, ध्यान एवं आयुर्वेद के माध्यम से समस्त मानसिक रोगों का उपचार करना।

५२. मानसिक रोगों को दूरं करने के लिए जन-जागरण करना।

५३. विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगियों को मनोचिकित्सकों द्वारा परामर्श एवं दवाइयों की व्यवस्था करना।

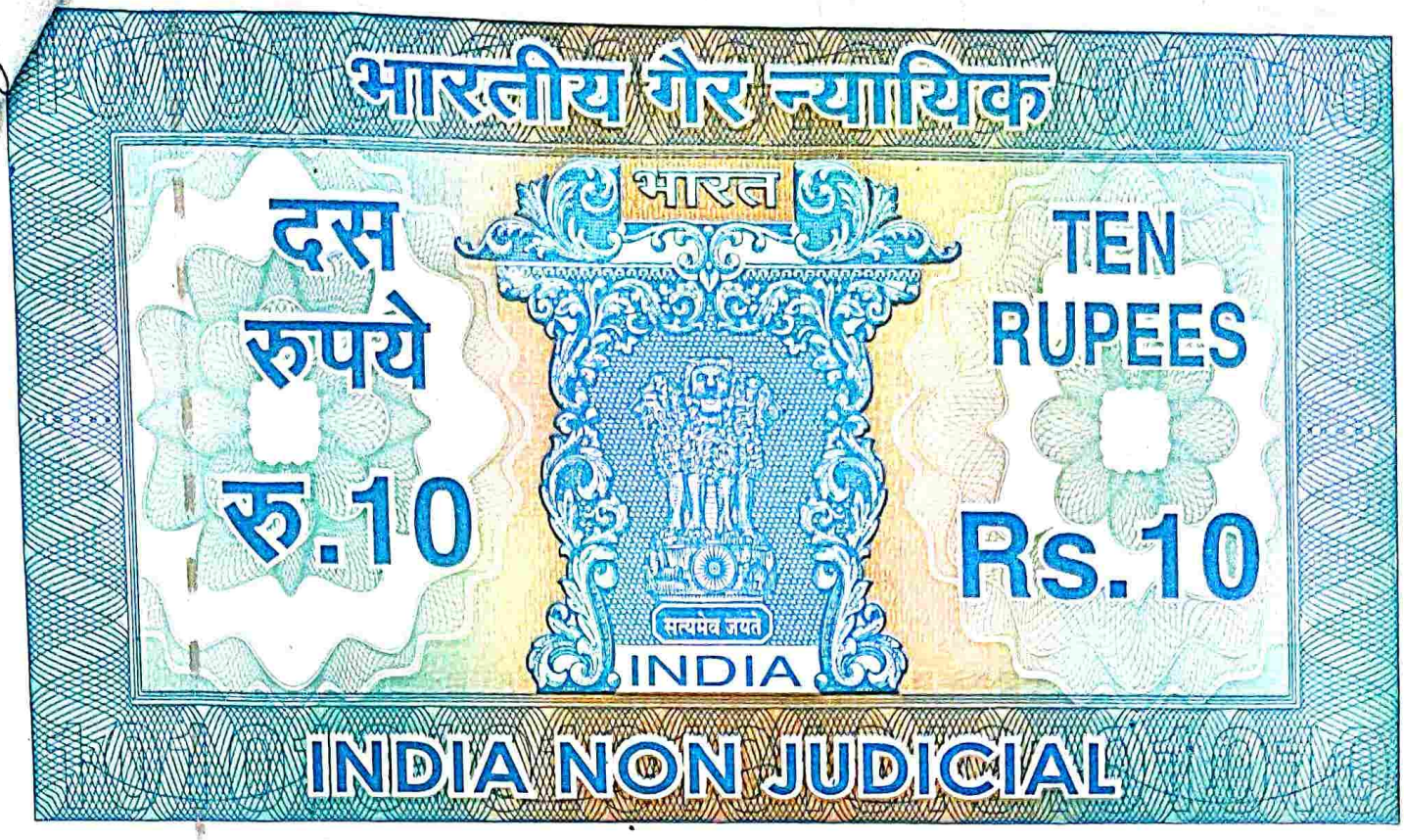

५४. डिप्रेशन के कारण होने वाली आत्महत्या की दर को कम करना, ध्यान परामर्श, योग व आयुर्वेद दवाओं से निदान करना।

५५. ट्रस्ट अपने आस-पास तथा अपने गाँव, शहर व देश को साफ रखेगा तथा सभी को सफाई के लिए प्रोत्साहित करेगा।

५६. ट्रस्ट आदिवासी, दलित, पिछड़े व सामान्य एवं सभी वर्गो में अभी शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगा।

५७. ट्रस्ट समाज तथा देश के उत्थान के लिए जन सामान्य के सहयोग से एवं ट्रस्ट के माध्यम से सैदव तत्पर रहेगा।

५८. दिव्यांगों के लिए शिक्षा एवं उनके विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेगा।

५९. लोक साहित्य की विभिन्न विधाओं को संरक्षित एवं संवर्धित करने की दिशा में कार्य करेगा।

६०. नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए महापुरुषों के विचारों का संकलन कर जन सामान्य में उतारने का हर संभव प्रयास करना।

६१. कुष्ट रोग, टी०वी०, दमा एवं सभी प्रकार के गंभीर बीमारियों के लिए ट्रस्ट सदैव तत्पर रहेगा।

६२. समाज में ईमानदारी, सतकर्म और सत्य निष्ठा से कार्य करने की दिशा में ट्रस्ट कार्य करेगा और भ्रष्टाचार मिटाने में सदैव तत्पर रहेगा।

६३. ट्रस्ट भारत के संविधान एवं कानून व्यवस्था को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य करेगा।

६४. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष में होगा।

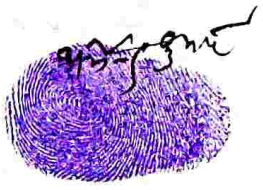

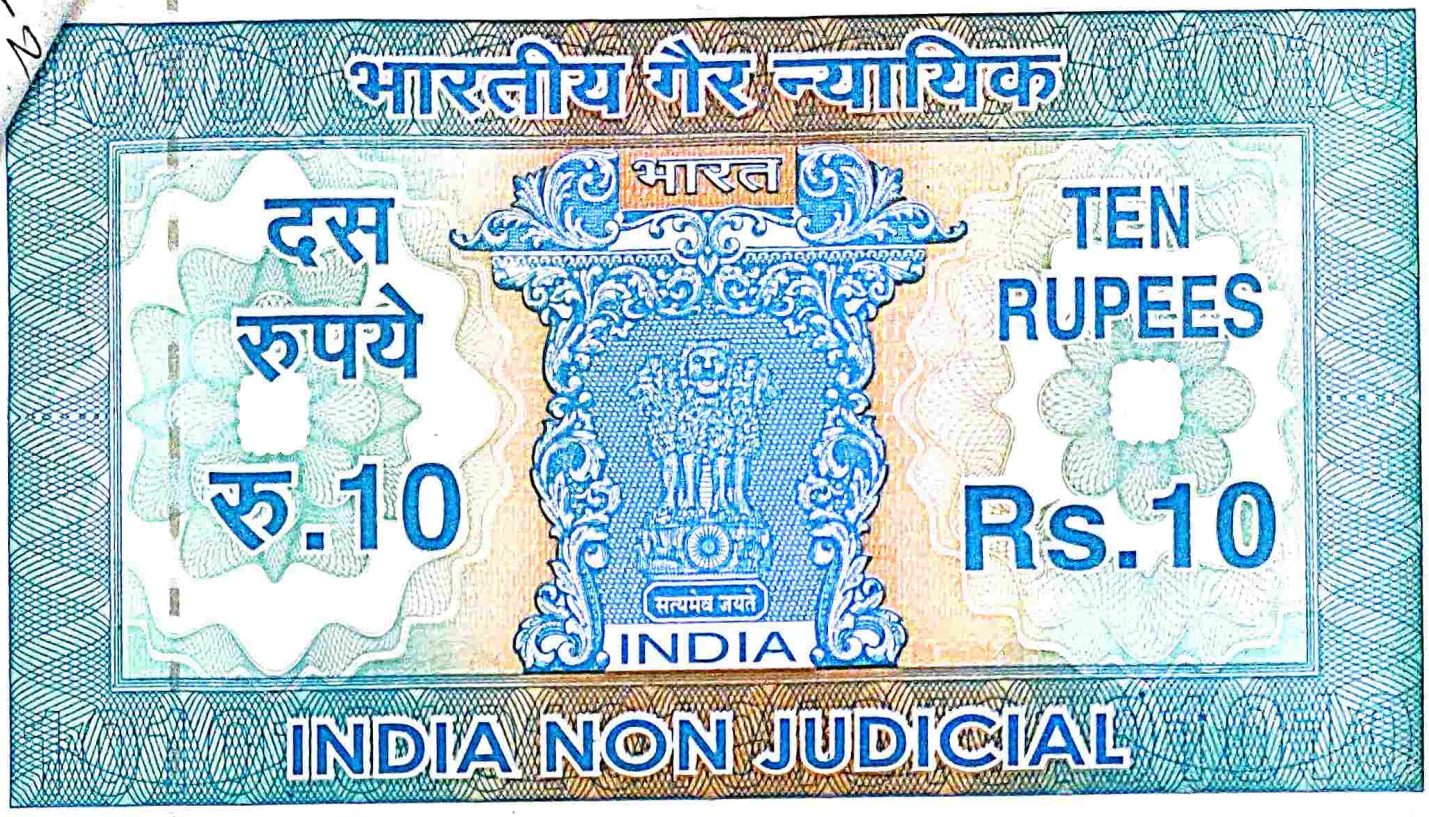

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 793854

६५. ट्रस्ट भारतवर्ष के बाहर कार्य नहीं करेगा।

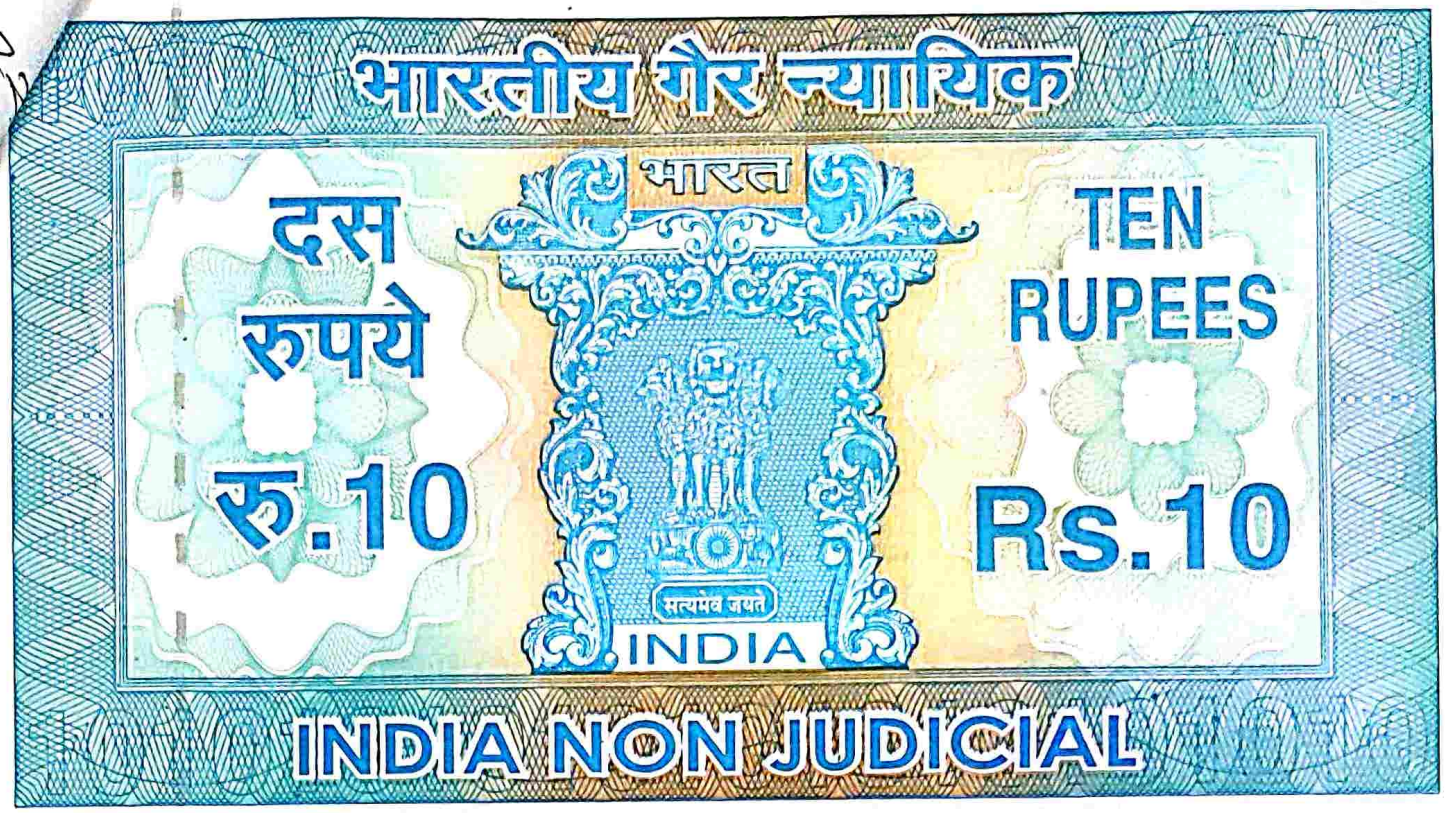

नियमावली :-

१. ट्रस्ट डीड के पंजीकृत होने के दिनॉक से न्यासकर्ता एवं प्रधान ट्रस्टी तथा सह ट्रस्टीगण ट्रस्ट द्वारा अर्जित समस्त चल व अचल सम्पतियों का रख-रखाव करेगें।

२. प्रधान ट्रस्टी/सह ट्रस्टी अपने जीवन काल में अपना उत्तरदायित्व किसी अन्य उत्तराधिकारियो को स्थानान्तरित नहीं कर सकते है बल्कि मृत्यु पश्चात प्रधान ट्रस्टी/सह ट्रस्टी के पुत्र उत्तराधिकारी घोषित होगें, जो उत्तराधिकारी आधे-आधे के हकदार होगें।

३. ट्रस्ट के प्रधान ट्रस्टी का उत्तराधिकार क्रम भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अर्न्तगत चलेगा और उत्तराधिकार को भारतीय उत्तराधिकार के प्रावधान लागू होगे।

४. प्रधान ट्रस्टी एवं सह ट्रस्टी संयुक्त रूप से ट्रस्ट सम्पति का उपयोग एवं उपभोग लोक हित में करेगे

५. सह ट्रस्टी एवं प्रधान ट्रस्टी ट्रस्ट के उत्थान एवं विकास के लिए ऋण दान उपहार आदि प्राप्त करने में यथा संभव कार्य करने तथा ट्रस्ट के उथान एवं विकास हेतु निरतर प्रयत्नशील रहेगे ।

६. इस डीड के अन्दर सभी पदों के नियुक्ती हेतु सह ट्रस्टी की लिखित सहमति आवश्यक होगी।

७. प्रधान ट्रस्टी अपने जीवनकाल तक अपने अधिकारी का हस्तान्तरित अपने पत्नी या बच्चों की सिवाय भी किसी अन्य को नही कर सकता हैं।

८. प्रधान ट्रस्टी/सह ट्रस्टी पीढ़ी दर पीढी प्रधान ट्रस्टी/सह ट्रस्टी के क्रम में रहेगें।

९. इस ट्रस्ट डीड में नामित ट्रस्टीगण की लिखित सहमति पर मनोनित ट्रस्टी की नियुक्ती किया जा सकता है। परन्तु ट्रस्ट के सम्पति में मनोनित ट्रस्टी का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही मत का अधिकार होगा।

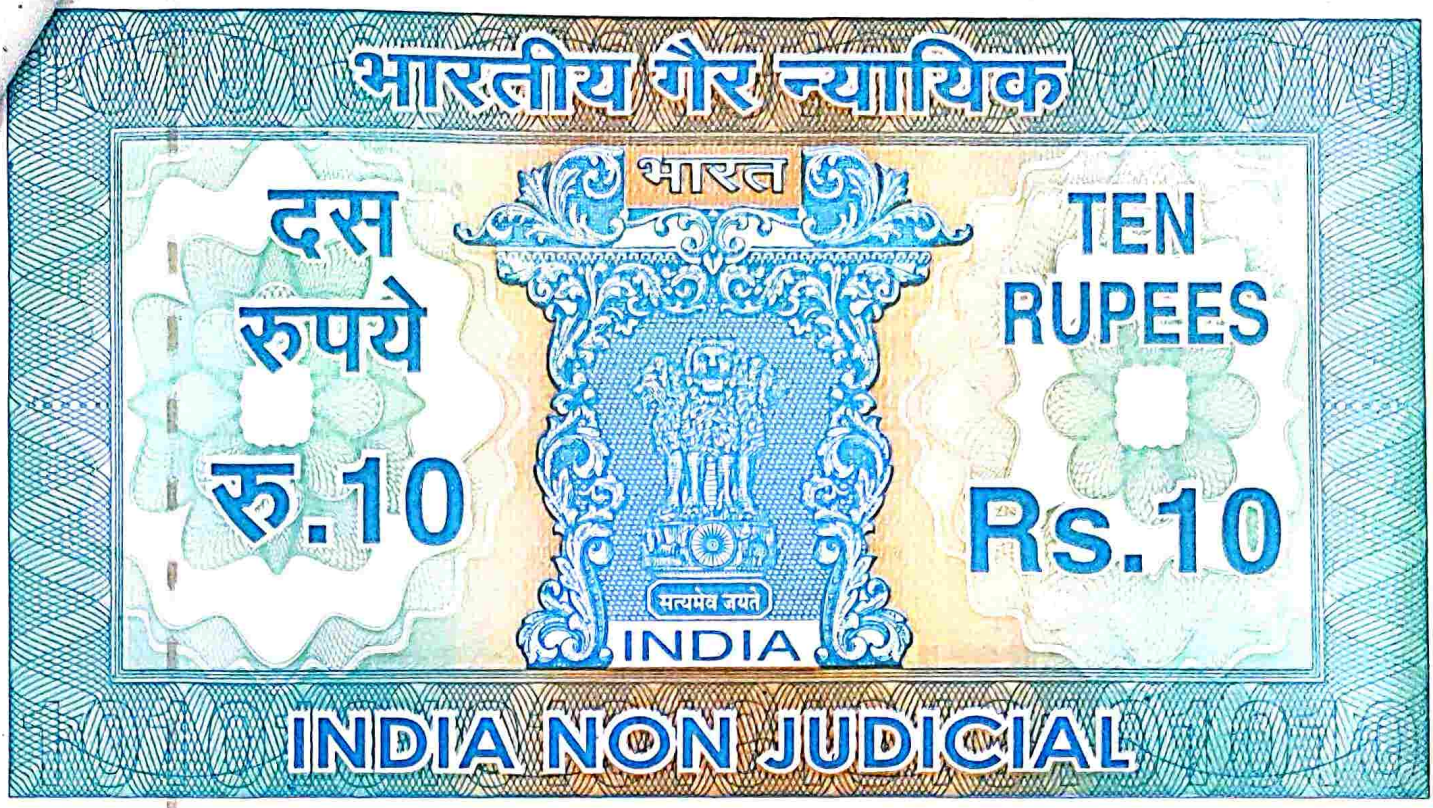

१०. ट्रस्ट के हित में ट्रस्टीगण के बहुमत के फैसले पर नये ट्रस्टी बनाये जा सकते है, जिनको वही अधिकार प्राप्त होगा जो अन्य ट्रस्टी को होगा। यह ट्रस्टी मनोनीत ट्रस्टी के श्रेणी में नहीं होगें। मनोनीत ट्रस्टी की प्रक्रिया पूर्ववत लागू रहेगी परन्तु मनोनित ट्रस्टी का ट्रस्ट की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नही होगा और नही मत का अधिकार होगा।

३. बोर्ड आफ ट्रस्टीज :-

१. यह कि प्रधान ट्रस्टी/सह ट्रस्टी यदि उचित समझे तो बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या ६ होगी।

२. यह कि प्रधान ट्रस्टी/सह ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि प्रधान ट्रस्टी/सह ट्रस्टी की इच्छा पर निर्भर करेगी तथा प्रधान ट्रस्टी/सह ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अविलम्ब बार्ड आफ ट्रस्टी की मीटिंग बुलाकर ट्रस्टी के पद से हटा सकता है। प्रधान ट्रस्टी/डायरेक्टर का निर्णय अन्तिम होगा, जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

३. यह कि प्रधान ट्रस्टी जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता प्रधान ट्रस्टी स्वयं करेगा। बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक वर्ष में न्यूनतम १ बार बुलाई जाएगी।

४. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनकों प्रधान ट्रस्टी/सह ट्रस्टी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

५. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया प्रधान ट्रस्टी की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करेगा। इस सन्दर्भ में प्रधान ट्रस्टी के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य एवं अन्तिम होगा।

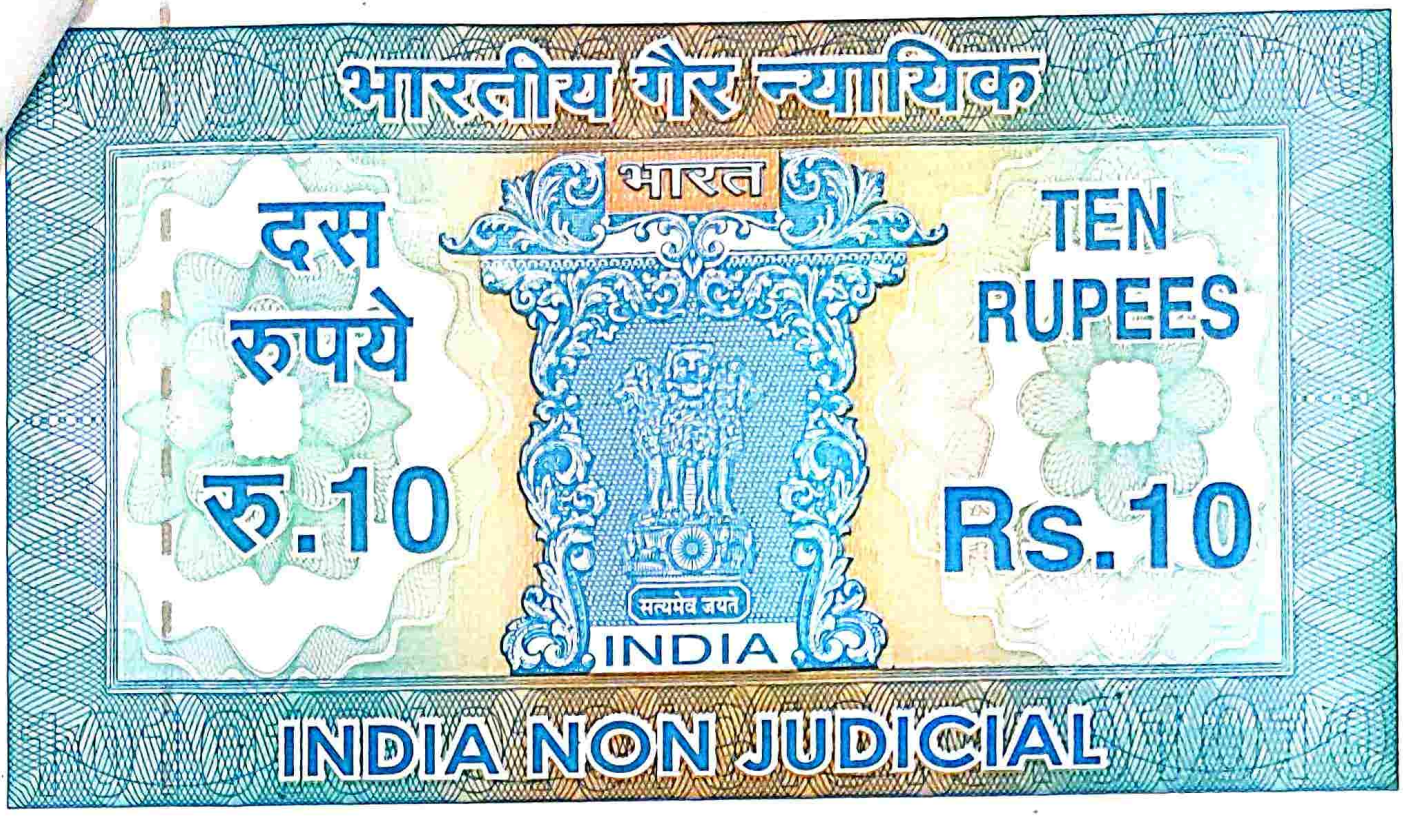

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 74AD 793857

४. प्रधान ट्रस्टी/सह ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाऐं:-

१. यह कि प्रधान ट्रस्टी एवं सह ट्रस्टी का कार्यकाल का समयावधि निश्चित नहीं हैं इनका कार्यकाल आजीवन एवं उत्तराधिकार अनुक्रमित में चलता रहेंगा

२. यह कि प्रधान ट्रस्टी एवं सह ट्रस्टी को विभिन्न सुविधाओं सें युक्त वाहन बोर्ड आफॅ ट्रस्टीज के अनुमोदन से उपलब्ध कराया जाएगा आवश्यकतानुसार इन सुविधाओं को सुनिशचित करने में बोर्ड आफ ट्रस्टीज का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा ।

३. प्रधान ट्रस्टीज एवं सह ट्रस्टीज द्वारा अपना दायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मान देय, भत्ता आदि लेने पर कोई आय कर लगता है तो ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

४. प्रधान ट्रस्टी एवं सह ट्रस्टी को ट्रस्ट के उत्तरदायित्व वहन करने हेतु प्रत्येक ट्रस्टी को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा अनुमोदित मानदेय/भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

५ - प्रधान ट्रस्टीज/डायरेक्टर/निदेशक के अधिकार एवं कर्तव्य :-

१. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना ।

२. ट्रस्ट के समस्त कार्यो का समुचित रूप से देखरेख करना सचिव, उपसचिव तथा अनेक पदाधिकारों का नियुक्ति करना ।

३. ट्रस्ट डीड में उल्लेखित ट्रस्ट के उददेश्य एवं नियमावली में सह ट्रस्टी के लिखित सहमति से संसोधन/परिवर्तित कर सकता है, जो कि रजिस्टार के यहॉ रजिस्ट्री होने के दिनॉक से मान्य होगा।

४. ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानो की देख-रेख एवं उत्थानो के लिए भविष्य में स्थापित मैनेजिंग समितियों विहित समय के लिए नियुक्त करने के लिए अधिकृत होगी। ट्रस्ट द्वारा

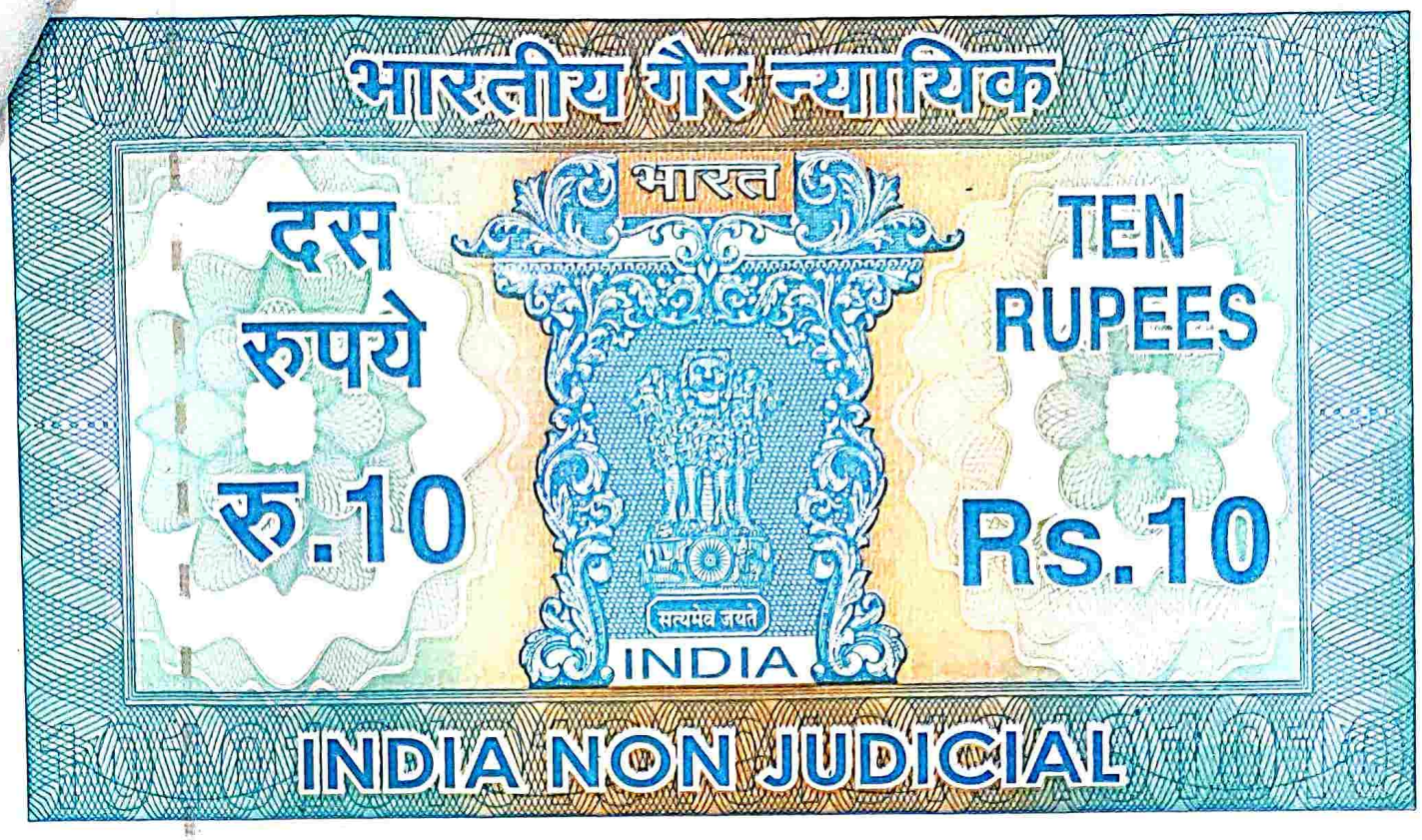

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 74AD 793858

समस्त स्थानीय मेनेजिंग समितियों पर पूर्ण नियंत्रण एवं सचालन प्रधान ट्रस्टी/डायरेक्टर का होगा ।

५. किसी स्थानीय मैनेजिंग समितियों पर ट्रस्ट के उददेश्यों के विवरण एवं नियमावली के विपरीत कृत्य किए जाते है तो मैनेजिंग ट्रस्टी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अविलब बैठक बुलाकर ट्रस्ट के हित में तत्काल स्थानीय मैनेजिंग समीति को भंग कर सकता हैं तथा नई स्थानीय समीति के गठन तक समस्त कार्य सह ट्रस्टी सहमति के आधार पर प्रधान ट्रस्टीज संपादित करेगा।

६ - सह ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्यः-

१. यह कि सह ट्रस्टी प्रधान ट्रस्टी/डायरेक्टर के प्रत्येक प्रशासनिक कार्यो में सहयोग करेगा।

२. यह कि प्रधान ट्रस्टी के आवश्यक कार्यवश कार्यालय से बाहर चले जाने पर उसके वापस आने तक प्रधान ट्रस्टी के कार्यवाही प्रधान ट्रस्टी द्वारा बनाई गई सह ट्रस्टी की समीति अथवा प्रधान ट्रस्टी/डायरेक्टर द्वारा नामित सचिव उनके समस्त प्रशासनिक कार्यो को सम्पादित करेगा।

७- सचिव/उपसचिवों की नियुक्तिः-

१. यह कि प्रधान ट्रस्टी/डायरेक्टर ट्रस्ट के दिन-प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देखभाल करने के लिये ट्रस्ट के लिये एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिव की नियुक्ति कर सकेगा।

२. यह कि सचिव उपसचिव के वेतन, भत्ते, सुविधाएँ कार्य नियम बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

३. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव बोर्ड आफ ट्रस्टीज के अनुग्रह पर पर्यन्त तक कार्य करेंगे। प्रधान ट्रस्टी/डायरेक्टर किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत

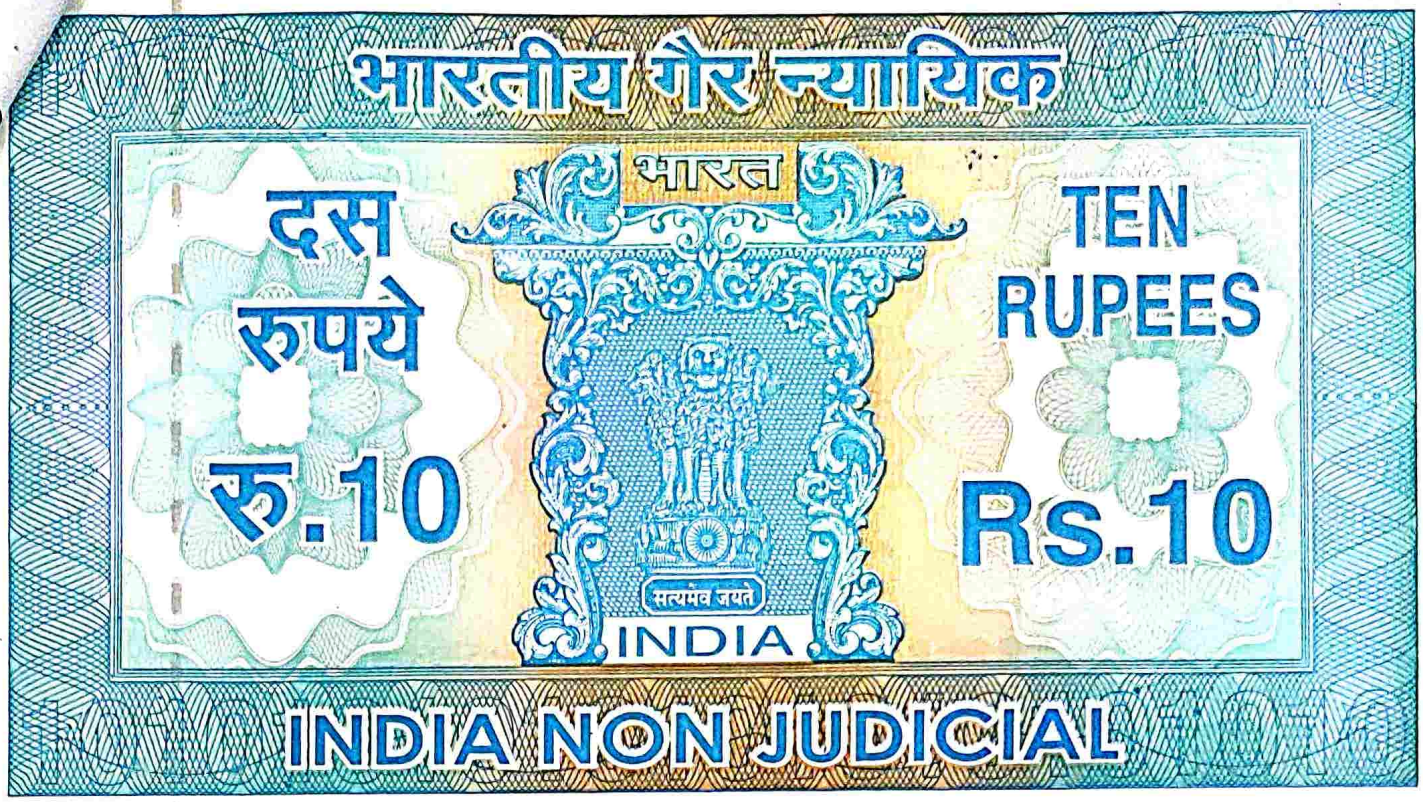

व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्यवाहीं कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति का उसके पद से हटा सकता है।

८- उपाध्यक्ष की नियुक्तिः-

१. प्रधान ट्रस्टी/डायरेक्टर ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने व देखभाल करने के लिये बोर्ड आफ ट्रस्टीज के सहमति पर एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

२. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन, भत्ते, सुविधाएँ, कार्य बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

९- उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः-

डायरेक्टर/प्रधान ट्रस्टी की अनुपस्थिति में लिखित अनुमति से डायरेक्टर द्वारा बताये गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना, किन्तु उपाध्यक्ष अपने विवेक से कोई निर्णय नहीं ले सकेगा, निर्णय के लिए डायरेक्टर की लिखित सहमति आवश्यक है।

१०- सचिव के अधिकार एवं कर्तव्यः-

डायरेक्टर/प्रधान ट्रस्टी के समस्त कार्यो के लिये ट्रस्ट के सचिव अन्तिम रूप से उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य हैः-

१. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कर्यवाहीं करना।

२. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।

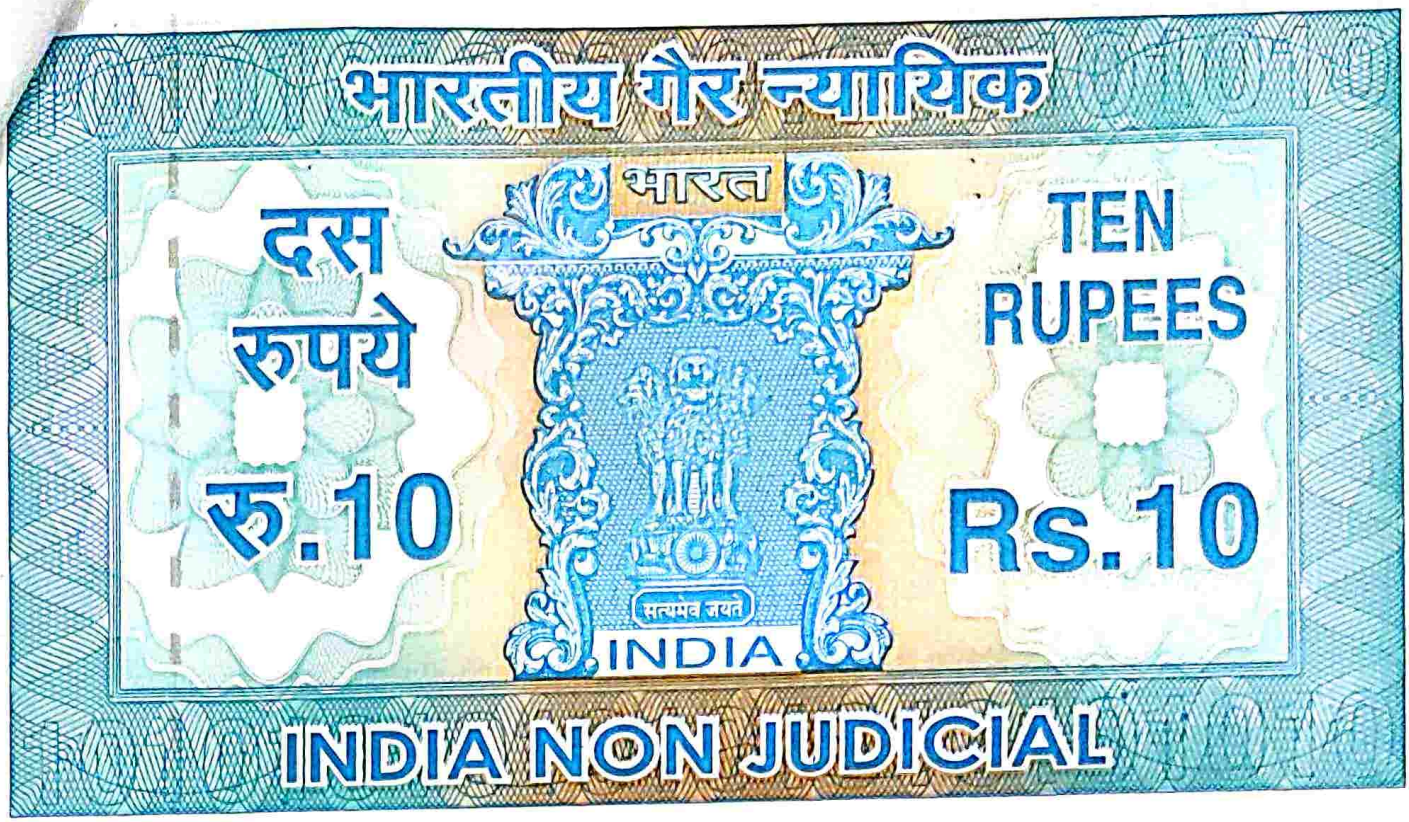

३. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पद मुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक, प्रशासनिक कार्यवाही करना।
४. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागों केन्द्रों /संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन करना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
५. ट्रस्ट को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच व निर्णयक नियुक्ति कर सकना।
६. एक से अधिक कार्याधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
७. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
८. जनसामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।
९. यह कि सचिव उपसचिव के वेतन भत्ते की सुविधाएं कार्य नियम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के द्वारा निश्चित किया जायेगा।

११- उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्यः-

१. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
२. सचिव द्वारा लिखित रूप से अधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
३. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

१२- ट्रस्ट सम्पति के खाते का संचालनः-

Hitu yadav

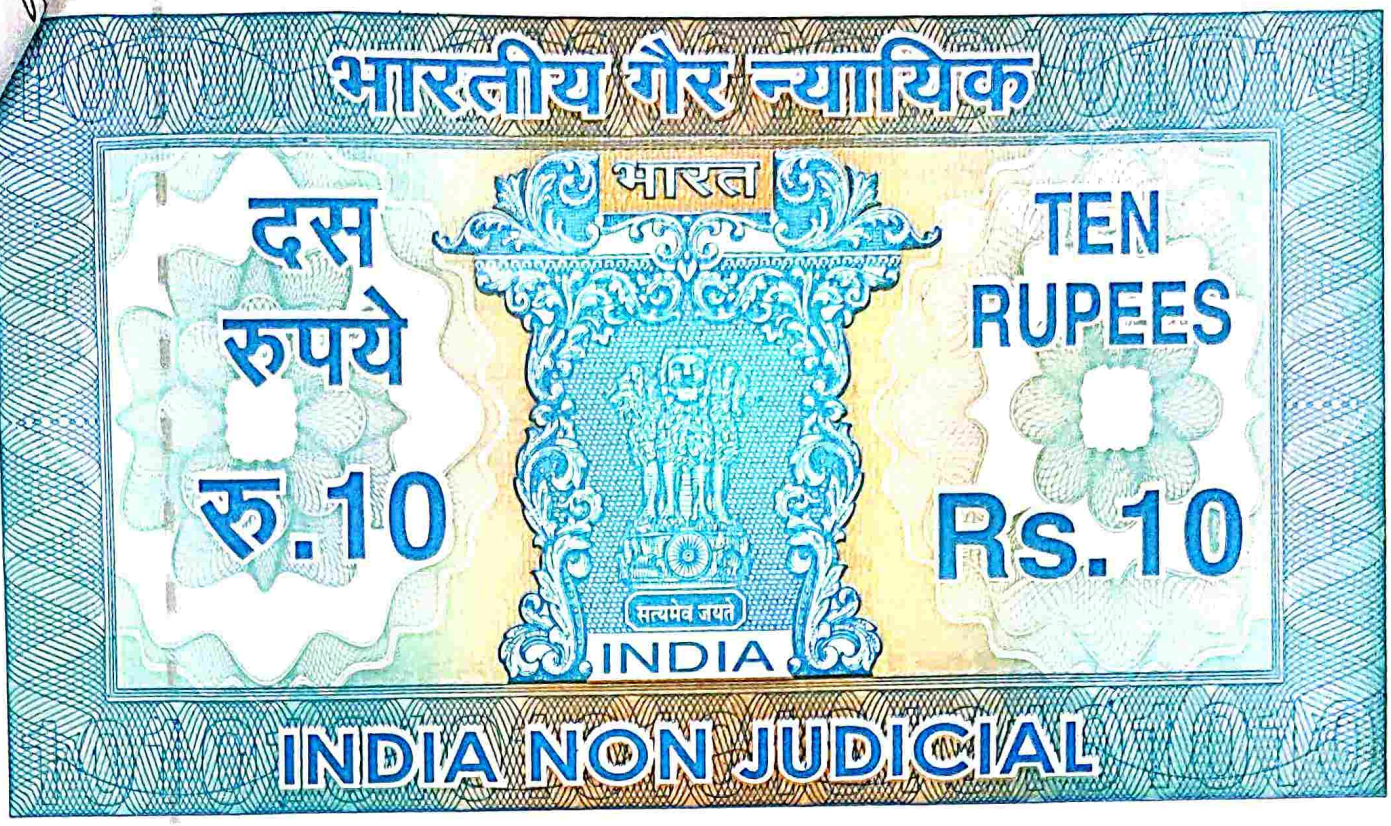

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 74AD 793861

१. ट्रस्ट का खाता **साहूराम लाली देवी फाउण्डेशन (एस०आर०एल०डी० फाउण्डेशन) ट्रस्ट** के नाम से राष्ट्रीयकृत किसी भी बैंक में खोला जायेगा। प्रधान ट्रस्टी व सह ट्रस्टी स्वयं खाते का संचालन संयुक्त रुप से करेगें।

२. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के डायरेक्टर या डायरेक्टर द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है ।

१३- विधिक कार्यवाहीः-

प्रधान ट्रस्टी/डायरेक्टर को यह अधिकार होगा कि ट्रस्ट संपत्ति को प्रभावित करने वाले मामलों के विरूद्ध सिविल वाद/आपराधिक वाद/राजस्व वाद/आयकर वाद/अथवा अन्य सम्बन्धित विवाद ट्रस्ट उपरोक्त के नाम से सक्षम न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से वाद योजित करें तथा उसकी प्रतिरक्षा करें, अधिवक्ता को नियुक्त कर विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं कर सकता है सचिव के आलावा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के किसी सदस्य को आवश्यकानुसार विधिक कार्यवाही हेतु पैरवी एवं संचालन के लिये नियुक्त कर सकता है। कार्यवाही की समीक्षा बोर्ड आफ ट्रस्टीज करेगा ।

Jitu yadav

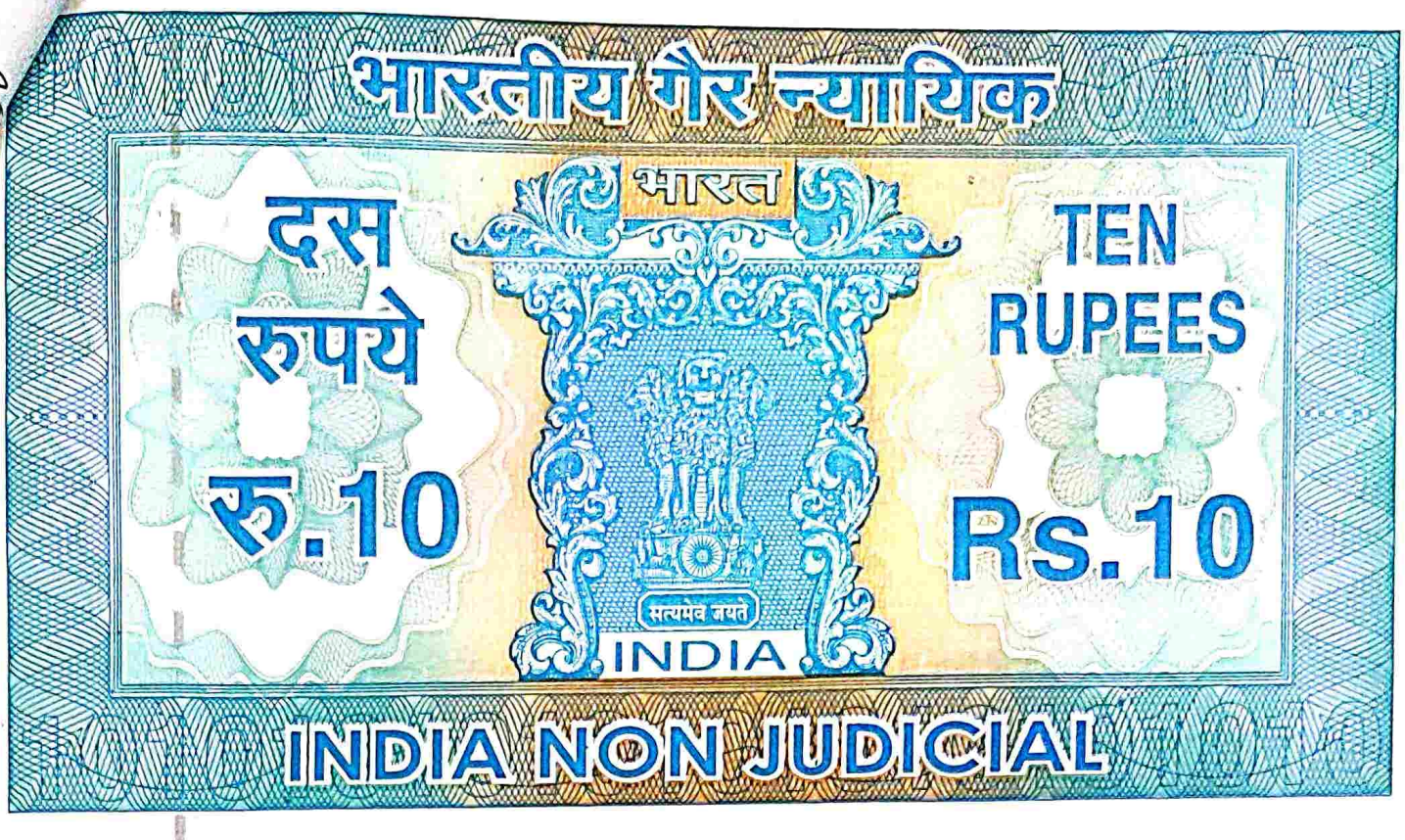

१४- ट्रस्ट सम्पतिः-

१. ट्रस्ट चल/अचल सम्पति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है, जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।

२. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु डायरेक्टर/प्रधान ट्रस्टी किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

३. ट्रस्ट का बोर्ड आफ ट्रस्टीज के अनुमोदन पर निदेशक/प्रधान ट्रस्टी ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पति के सम्बन्ध में कोई भी लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

४. ट्रस्ट चल/अचल सम्पति क्रय-विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है किराये पर दे सकता है, ले सकता है।

५. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, भेट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।

६. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था, कम्पनी, आदि की किसी योजना में धन/सम्पति का विनियोजन कर सकता है।

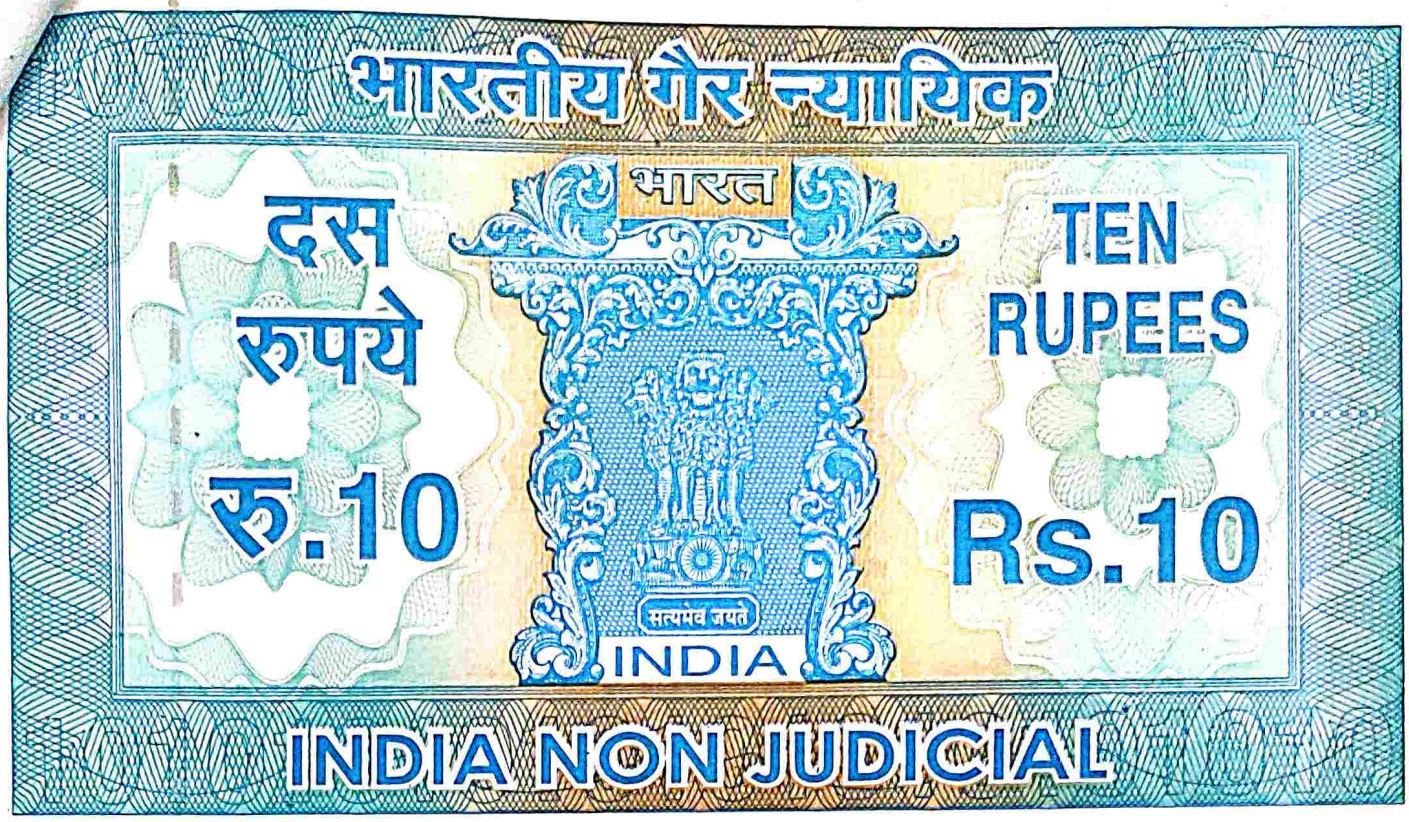

७. बोर्ड आफ ट्रस्टीज के निर्णय पर प्रधान ट्रस्टी/सह ट्रस्टी चल/अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति भाड़ा क्रय, अनुज्ञप्ति, बन्धक भारिता गिरवी विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है, दे सकता है।

८. ट्रस्ट की समस्त चल/अचल सम्पत्ति के समान सहभागी सभी उपरोक्त नामित ट्रस्टी एवं कोट्रस्टी उक्त होंगे।

९. ट्रस्ट सम्पति का लेखा-जोखा अध्यक्ष/सचिव किसी मान्यता प्राप्त आडिटर से प्रत्येक वर्ष करायेगा।

१०. ट्रस्ट हेतु सम्पति प्रधान ट्रस्टी या सह ट्रस्टी, किसी के नाम से सम्पूर्ण भारत में क्रय की जा सकती है तथा ट्रस्ट के हित के लिए ट्रस्ट सम्पत्ति का विक्रय प्रधान ट्रस्टी की सहमति/संस्तुति के उपरान्त ही की जायेगी। प्रधान ट्रस्टी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

१५- विशेष विवरणः-

क- इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय/ संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते है, परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है तो नियम/उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

ख- प्रधान ट्रस्टी एवं सह ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधानों को शिथिल कर सकती है तथा प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है इस सम्बन्ध में डायरेक्टर/प्रधान ट्रस्टी का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा की गयी किसी कार्यवाहीं को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। **साहूराम लाली देवी फाउण्डेशन (एस०आर०एल०डी० फाउण्डेशन) ट्रस्ट** के उद्देश्य एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियमित घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

दिनांकः- १६.०१.२०१६

मसविदाकर्ताः-जयनाथ गिरी (एडवोकेट)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 793865

साक्षीगणः-

१. नामः-
जितेन्द्र कुमार
पिता का नाम - स्व० दूधनाथ
पता - ग्रा० - कोटा - डाला चट्टई
डाला - प० - अगोरी त० राबर्टसगंज
जि० - सोनभद्र उ०प्र० -
मो०न० - 9795544774

पताः-

२. नामः- Samim Ansari
शमीम अन्सारी
पिता का नाम - अजीम अन्सारी
पता - ग्राम० - भलवॉ पो० रूपौधा
प० - भुइली० त० - चुनार
जि० - मिरजापुर - उ०प्र०
मो०न० - 9919209858

पताः-

धर्मेन्द्र कुमार

Jituyadav